फर्द अहकाम

कमला देवी बनाम राम लखन (सांगानेर)

61/2022

क्रमांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/5/25	प्रार्थनापत्र पेश हुआ। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त अदालत वादी व उनके अधिवक्ता को फोन पर आवाज लगाई गई। वादी व उनके अधिवक्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद उक्त खारिज होने योग्य है। प्रार्थनापत्र फैसले सुनाए जाने, फर्द नकल के संबंध में अंकित दस्तखत है।	विजय कुमार, ह० पटवारी 2 सीकर 21/5/25

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर क्षेत्रीय (सांगानेर)